

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1593

/ एफ-1-71/31/एस-2/2020,

अटल नगर, दिनांक 25/03/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय:- सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखण्ड अंतर्गत लोलकी जलाशय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. क्र. पत्र क्र.-57/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/10271, रायपुर, दि. 23.11.2020.

—00—

राज्य शासन एतद द्वारा सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखण्ड अंतर्गत लोलकी जलाशय योजना हेतु लागत राशि रु. 174.28 लाख (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख अट्ठाईस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 50 हेक्टेयर खरीफ एवं 10 हेक्टेयर रबी कुल 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट माँग संख्या-41 अनुसूचित जनजाति उप योजना, मुख्य शीर्ष-4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [101] सतही जल, (0102) अनुसूचित जनजाति उप योजना (3828) लघु सिंचाई योजना #97 निर्माण कार्य, 003 बाँध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2020 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

कार्यालय मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
जिला-रायपुर (छ.ग.)
आवक क्रमांक 2371 दिनांक 8/4/21
कक्ष 3
अधीक्षक य. 164 मुख्य अभि

25/03/2021
(प्रेम सिंह धरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

सं. 1594 / एफ. 7. 71. 11. एन. 2/2020.

अटल नगर, दिनांक 25/03/2021

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क सामाजिकालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंगलेश प्रेस प्रकाशक कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, शाम वरनई परियोजना मण्डल, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर, जिला-सूरजपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्यर।

[Signature]
25/03/2021
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
25/3/21